FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)** मुकाम **जोधपुर**

लूणाराम बनाम् राधा देवी व अन्य

किस्म मुकदमा – निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायतराज अधिनियम

मुकदमा संख्या – 0224/2025 **जीसीएमएस नं** 2025/614

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख मे जारी हुए
03/2/26	प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीनी सं0 1 स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत चौखा द्वारा दिनांक 20–2–2024 को अप्रार्थी सं0 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 13 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है। दौराने सुनवाई पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं.0 1 के हक में जारी पटटा संख्या 13 की भूमि बाबत् पूर्व में ही ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा सं. 275 दिनांक 15–10–1976 को प्रार्थी लूणाराम के हक मे जारी किया जा चुका है जो भूमि लूणाराम की है। अप्रार्थी सं0 1 स्वयं विवादित पट्टे को निरस्त करवाना चाहती है एवं प्रार्थी के हक में वादग्रस्त जायदाद बाबत पूर्व मे जारी पट्टे को स्वीकार करती है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा सं0 13 खारिज किये जाने में अप्रार्थीनी को किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज एवं आपत्ति नही है। उपस्थित पक्षकारान् से राजीनामा की इबारत बाबत पूछा गया जिन्होने स्वेच्छा लिखकर प्रस्तुत करने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में पक्षकारान् के मध्य निष्पादित राजीनामा के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चौखा द्वारा दिनांक 20–2–2024 को अप्रार्थीनी सं0 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 13 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर	